राजस्थान सरकार
कार्यालय, अधीक्षण भू–वैज्ञानिक, भीलवाड़ा वृत, भीलवाड़ा
खांन एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास, आजाद नगर, भीलवाड़ा
ई–मेल : supgeobhilwara@dmg-raj.org

क्रमांक – अभूवै / भील. / निविदा / प.157 / 2017 /   दिनांक: 04.01.2017

निमित्त

श्रीमान् निदेशक महोदय,
जनसम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान जयपुर।

विषयः– निविदा का प्रकाशन करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के अधीन चल रही विभागीय पूर्वेक्षण परियोजनाओं पर वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (01 वर्ष हेतु) हेतु आउट सोर्सिंग पर कार्य कराये जाने हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञप्ति की सात प्रतियां एवं सॉफ्ट कॉपी (सीडी) में भिजवाई जा रही है। कृपया इस विज्ञप्ति को किन्ही दो समाचार पत्रों के भीलवाड़ा संस्करणों में सुक्षमता से प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

-Sd-
(ओ.पी. जांगिड)
अधीक्षण भू–वैज्ञानिक
भीलवाड़ा

क्रमांक – अभूवै / भील. / निविदा / प.157 / 2017 / 16   दिनांक: 04.01.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् नोडल अधिकारी DMGOMS निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयुपर को भेजकर लेख है कि कृपया संलग्न निविदा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का श्रम करावें। निविदा सॉफ्ट कॉपी (सीडी) में आपको प्रेषित की जा रही है।
2. सहायक निदेशंक कार्यालय रोजगार एवं नियोजन, भीलवाड़ा।

अधीक्षण भू–वैज्ञानिक
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
कार्यालय, अधीक्षण भू-वैज्ञानिक, भीलवाड़ा वृत, भीलवाड़ा
खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास, आजाद नगर, भीलवाड़ा
ई-मेल : supgeobhilwara@dmg-raj.org

क्रमांक – अभूवै/भील./निविदा/प.157/2017/ 18 दिनांक: 04.01.2017

निविदा सूचना

कार्यालय अधीक्षण भू-वैज्ञानिक, भीलवाड़ा के अधीन संचालित विभिन्न भू-वैज्ञानिक परियोजनाओं हेतु वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (01 वर्ष हेतु) में आउट सोर्सिंग से कार्य करवाने हेतु श्रम विभाग से पंजीकृत ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	निविदा का विवरण	निविदा की प्रणाली एवं आवश्यक शर्तें
1.	भू-वैज्ञानिकीय परियोजनाओं पर विभागीय पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण कार्य करने हेतु स्पोट सैम्पलिंग, कौर सैम्पलिंग, क्वाटरिंग, कौनिंग, लोगिंग, चौकीदारी एवं कैम्प का रखरखाव इत्यादि कार्य।	• अंकित कार्य की अनुमानित लागत 03.00 लाख (वर्ष 2016-17 हेतु) एवं अनुमानित लागत 03.50 लाख (वर्ष 2017-18 हेतु) • निविदा प्रपत्र शुल्क 200/- रुपये • बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) 13000/- रुपये • निविदा प्रपत्र कार्यालय समय से प्राप्त/जमा कराया जा सकता है। • निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2017 दोपहर 1:00 बजे तक है। • भरी हुई निविदाऐं दिनांक 31.01.2017 को दोपहर 2:00 बजे तक प्रस्तुत की जानी है। • बकाया राशि डीडी/बैंकर्स चैक ही स्वीकार्य होगा। • निविदा दिनांक 31.01.2017 को दोपहर 3:00 बजे निर्धारित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। • निविदा या निविदा के किसी भाग को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

(ओ.पी. जांगिड)
अधीक्षण भू-वैज्ञानिक
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
कार्यालय, अधीक्षण भू–वैज्ञानिक, भीलवाड़ा वृत, भीलवाड़ा
खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास, आजाद नगर, भीलवाड़ा
ई–मेल : supgeobhilwara@dmg-raj.org

–:निविदा प्रारुप:–

संदर्भ:– कार्यालय अधीक्षण भू–वैज्ञानिक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा की निविदा संख्या क्रमांक अभूवै/भील./निविदा/प.157/2017/18 दिनांक: 04.01.2017

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक पता (मय दूरभाष/मोबाईल नम्बर):– ....
....
....
2. अनुबन्ध पर आउट सोर्सिंग से कार्य कराने के लिए हमारी दरे इस प्रकार है:–

क्र. सं.	निविदा का विवरण	कार्य सम्पादन हेतु प्रतिमाह/वार्षिक वसूली जाने वाली राशि (रुपयों में)*
1.	भू–वैज्ञानिकीय परियोजनाओं पर विभागीय पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण कार्य करने हेतु स्पोट सैम्पलिंग, कौर सैम्पलिंग, क्वाटरिंग, कौनिंग, लोगिंग, चौकीदारी एवं कैम्प का रखरखाव इत्यादि कार्य।	

उक्त दर्शाई गई दरें सभी प्रकार के करों सहित है अर्थात प्रभावी सभी करों के भुगतान का दायित्व (हमारा निविदादाता का) रहेगा।

3. उपरोक्तानुसार कार्यालय अधीक्षण भू–वैज्ञानिक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा की निविदा संख्या क्रमांक अभूवै/भील./निविदा/प.157/2017/18 दिनांक: 04.01.2017 में वर्णित समस्त शर्तों के पालन करने के लिए हम सहमत है। साथ ही उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें (1 से 41), जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, में वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरुप हमने हस्ताक्षर कर दिये है एवं उनका पालन करने के लिये हम सहमत है।
4. धरोहर राशि 13000/–रुपये (अक्षरे नो हजार मात्र) का बैंकर्स चैक/एफ.डी. नं. .... दिनांक .... संलग्न है।
5. आयकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. पंजीकृत ठेकेदार होने का घोषणा पत्र की संलग्न किया जाना है।

संलग्न प्रपत्र:

1. बैंकर्स चैक/एफ.डी. नं. .... दिनांक ....
2. आयकर चुकता प्रमाण पत्र।
3. पंजीकृत ठेकेदार होने का घोषणा।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर व नाम)
मोहर

निविदा संख्या .... दिनांक .... की शर्तें

नोटः– कृपया निविदाकार को निविदा में प्रस्तुत करने से पूर्व इन शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

1. निविदा, निविदा सूचना में "दिये गये निर्देशों" के अनुसार यथोचितरुप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करके भिजावें/प्रस्तुत करें।
2. रजिस्टर्ड सोसाइटी/कॉपरेटिव फर्म/पंजीकृत ठेकेदार/पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. श्रमिक सेवा प्रदाता को श्रम कानून के अन्तर्गत श्रम विभाग अथवा कानून में निर्दिष्ट अन्य किसी एजेन्सी के साथ पंजीयन अनिवार्य होगा।
4. निविदाकार निविदा के साथ आयकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।
5. टेण्डर फार्म स्याही अथवा टंकण द्वारा भरा जा सकेगा। पेंसिल से भरा गया टेण्डर फार्म स्वीकार्य नहीं होगा। निविदाकार टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं अन्त में टेण्डर की समस्त शर्तो की स्वीकृति के प्रतीक स्वरुप हस्ताक्षर करेगें।
6. दरें अंकों एवं शब्दों में लिखी जानी चाहिए। किसी प्रकार का संशोधन होने पर अथवा त्रुटि होने पर उसे स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए एवं दिनांक सहित लम्बे हस्ताक्षर प्रमाणन हेतु किये जाने चाहिए।
7. समस्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन होगी। श्रमिकों के परियोजना स्थल तक आने जाने के लिये किसी प्रकार का गाड़ी भाड़ा/यातायात प्रभार देय नहीं होगा।
8. टेण्डर खोले जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए स्वीकृति निर्णयन हेतु वैध होगें।
9. अनुमोदित निविदाकार के संबंध में समस्त शर्तों या वैधानिक उत्तरदायित्वों आदि के अर्थ के संबध में कोई संदेह हो तो उसे निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर संदेह दूर कर लेना चाहिए।
10. निविदाकार अपनी निविदा अथवा सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और ना किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
11. परियोजना पर कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा कार्य की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में प्रदाय की संविदा को किसी भी समय निराकृत (रेयुडिवेटेड) किया जा सकता है।
12. न्यूनतम निविदाकार की निविदा स्वीकार होने के बाद आपूर्ति ओदश जारी होने के तीन दिवस के भीतर परियोजना कार्यस्थलों पर कार्य शुरु करायेगा।
13. यदि निविदा सूचना में दर्शायी गई मात्रा से नियमानुसार अधिक मात्रा में कार्य हेतु आदेश दिया जाता है तो निविदाकार ऐसी आदेशित मात्रा की आपूर्ति के लिये बाधित होगा। निविदा में दी गई दरों एवं शर्तों के अधीन रहते पुनरावृति आदेश (रिपिटेड ऑर्डर) दिये जा सकते है। पुनरावृति आदेश मूल ओदश की मात्रा के 50 प्रतिशत तक के लिये हो सकेगा एवं ऐसा आदेश अंतिम आपूर्ति के 2 माह के भीतर दिया जा सकेगा। अगर निविदाकार ऐसी आपूर्ति करने में असफल रहता है तो कार्यालयाध्यक्ष सीमित निविदा अथवा अन्य श्रमिकों की व्यवस्था करने के लिये स्वत्रंत होगा। ऐसी स्थिति में कोई अतिरिक्त व्यय होगा तो निविदाकार से वसूलनीय होगा।
14. यदि कार्यालयाध्यक्ष कार्य का कोई आदेश देता है अथवा कार्य की मात्रा कम करने का आदेश देता है तो निविदाकार किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
15. आकस्मिक कार्य की आपूर्ति वास्तविक आकस्मिकता उत्पन्न होने पर मांग किये जाने पर करनी होगी। ऐसी मांग प्रति श्रमिक अधिकतम 15 दिवस प्रतिमाह के लिये हो सकेगी। आकस्मिकता उत्पन्न न होने पर ऐसे किसी श्रमिक की सेवायें नहीं ली जावेंगी।

16. अरनेस्ट मनी (धरोहर राशि) रुपये 13000/— मात्र (अक्षरे तैरह हजार मात्र) के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। धरोहर राशि नकद ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट अथवा अनुसूचित बैंक के बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा कराई जा सकती है। केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के लिये अरनेस्ट राशि जमा कराना आवश्यक नहीं है।

17. निम्न परिस्थितियों में अरनेस्ट मनी जब्त कर ली जावेगी:—

- जब निविदाकार टेण्डर खुलने के बाद लेकिन स्वीकृति से पूर्व प्रस्ताव हटाता (विदड्रा करता) है, अथवा इसमें परिवर्तन करता है।
- जब निविदाकार निहित समय के भीतर अनुबन्ध का सम्पादन नहीं करता है।
- जब निविदाकार आपूर्ति आदेष दिये जाने के बाद सिक्योरिटी डिपोजिट जमा नहीं कराता है।
- जब कार्य आदेष के अनुसार निहित समय के भीतर कार्य करने में असफल रहता है।

18. अनुमोदित निविदाकार को कार्य आदेश मिलने के 7 दिवस के भीतर अनुबन्ध का निष्पादन कराना होगा। अनुबन्ध पत्र के साथ रुपये 13000/— मात्र अक्षरे (तैरह हजार मात्र) की राषि (कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रुपये 6.50 लाख का 2 प्रतिशत) एफ.डी. आर. के रुप में सिक्योरिटी जमा करवाकर एफ.डी.आर. इस कार्यालय को सौंपनी होगी जो अनुबन्ध की अवधि तक कार्यालय में ही जमा रहेगी।

19. उक्त अनुबन्ध की अवधि निविदा सम्पादित होने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी जो अगला अनुबन्ध होने पर पारस्परिक सहमति से अधिकतम तीन माह के लिये बढ़ाई जा सकेगी।

20. अरनेस्ट मनी को सिक्योरिटी डिपोजिट के विरुद्ध समायोजित किया जा सकेगा। सिक्योरिटी डिपोजिट पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

21. सिक्योरिटी डिपोजिट नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान/एफ.डी.आर. के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों के लिये सिक्योरिटी डिपोजिट जमा कराना आवश्यक नहीं होगा।

22. निम्न मामलों में सिक्योरिटी अंषतः/पूर्णतः जब्त की जा सकेगी।

- संविदा की शर्तों के भंग होने की स्थिति में।
- जबकि निविदाकार सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता है।
- सिक्योरिटी डिपोजिट की जब्ती के लिये उचित समय का नोटिस दिया जावेगा। इस बाबत कार्यालयाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

23. अनुबन्ध के सम्पादन एवं मुद्रांकन (स्टाम्पिंग) का व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग को बिना कोई मूल्य चुकाये मुद्रांकित अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध कराई जावेगी।

24. कार्य की अवधि 8 घंटे प्रति श्रमिक दिवस होगी। पागल, बालक (18 वर्ष से कम) एवं विकलांग श्रमिकों की सेवायें स्वीकार नहीं की जावेगी। कार्य स्थल पर श्रमिकों को स्वंय के साधन से पहुंचना होगा।

25. अुनबन्धकर्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों पर श्रमिकों को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगा।

26. अनुमोदित निविदाकार प्रवत श्रम कानूनों एवं समय—समय पर राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देषों की पालना हेतु बाध्य रहेगा।

27. अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि श्रमिक/श्रमिकों द्वारा कोई न्यायिक प्रकरण/लिटिगेषन दायर किया जाता है तो उसके लिये अनुमोदित निविदाकार पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगा।

28. श्रमिक हितों के संरक्षण का एक मात्र दायित्व अनुमोदित निविदाकार का रहेगा। श्रम कल्याण के लिये अपेक्षित सुविधायें अनुमोदित निविदाकार द्वार उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में विभाग को श्रमिकों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
29. अनुबन्ध द्वारा आउट सोर्सिंग से कराये जाने वाले कार्य हेतु ठेकेदार के लगाये गये श्रमिकों द्वारा उठायी गई किसी प्रकार की शिकायत को सुनने के लिये विभाग बाध्य नहीं है।
30. दुर्घटना या अन्य किसी आकस्मिकता के घटने की स्थिति में अनुमोदित निविदाकार का उत्तरदायित्य होगा।
31. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा चोरी या सरकारी सम्पति का नुकसान किये जाने पर उसकी वसूली अनुमोदित निविदाकार से की जावेगी।
32. यदि निविदाकार ऐसी शर्त लगाता है जो यहां उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त है अथवा इनके विपरित है तो उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है। किसी स्थिति में ऐसी कोई शर्त स्वीकृत हुई नहीं समझी जावेगी, जब तक इसकी लिखित स्वीकृति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी नहीं कर दी जाती है।
33. किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह न्यूनतमक निविदा ही हो। कार्यालयाध्यक्ष को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने अथवा एक या एक से अधिक निविदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
34. अनुमोदित निविदाकार को सम्पादित किये जाने वाले कार्य के भुगतान बिल प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान विभागीय अनुमति प्राप्त होने तथा कोष कार्यालय से आहरित होने पर किया जायेगा। विलम्ब का ब्याज देय नहीं होगा। यदि निविदाकार प्रतिमाह बिल प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर स्वीकृति निरस्त कर द्वितीय न्यूनतम निविदा दाता को ठेका देने के लिये कार्यालयाध्यक्ष स्वंत्रंत होगा।
35. यदि संविदा के निर्वचन, अर्धान्यन एवं संविदा की शर्तों के भंग संबंधी कोई वाद उत्पन्न होता है तो सविंदा के पक्षकारों द्वारा प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा। कार्यालयाध्यक्ष अपने वरिष्ठ अधिकारी को एकमात्र आर्बिट्रटर (पंच) के रुप में नियुक्त करेगा, जो मामलों के बाद अपना निर्णय देगा वह निर्णय अंतिम होगा।
36. समस्त कार्य आउट सोर्सिंग के आधार पर रेप्सर एक्ट को ध्यान में रखते हुए करना होगा।
37. किसी भी पक्ष (सरकार एवं संविदाकार) द्वारा कानूनी कार्यवाही संस्थित किये जाने की स्थिति में न्यायालय का क्षैत्राधिकार भीलवाड़ा ही होगा।
38. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सर्वाधिकार कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा।
39. करों की कटौति नियमानुसार बिल सेस की जावेगी।
40. इण्डियन लेबर कान्ट्रेक्टर (Regulation and Abolition Act 1970) एवं इनके अन्तर्गत बने नियम 1970 के प्रावधानों की पालना करने के लिये अनुबन्धकर्ता बाध्य होगा।
41. आउट सोर्सिंग पर कार्य भीलवाड़ा जिले में ली जा रही विभागीय परियोजनाओं हेतु किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदाकार मय
पत्र व्यवहार हेतु पूर्ण पते के